

पत्रांक - 13183 14/08/2024

दिनांक-01.08.2024 को श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य के सभी जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ किये जाने के आलोक में जिलों के साथ की गई आनलाईन समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक-01.08.2024 को श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य के 18 जिलों यथा- पटना, सारण, सिवान, गोपालगंज, औरंगाबाद, रोहतास, भभूआ, भोजपुर, बक्सर, गया, नवादा, मुजफ्फरपुर, पू0 चम्पारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर एवं वैशाली के बन्दोबस्त पदाधिकारी के साथ विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य सभी अंचलों में प्रारंभ किये जाने के आलोक में की जाने वाली जिला स्तरीय उद्घोषणा, ग्राम सभा कैलेण्डर, नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की R2R सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिविरवार एवं ग्रामवार टैगिंग संबंधी कार्य की समीक्षा की गई।

सभी जिलों के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक-13088 दिनांक-31.07.2024 दिनांक-02.08.2024 एवं 03.08.2024 को भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में जिला स्तर से नवनियोजित कर्मियों के R2R सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिविरवार एवं ग्रामवार टैगिंग, जिला स्तर से प्रपत्र-1 में की गई ग्रामवार उद्घोषणा, ग्राम सभा के लिए ग्रामवार, तिथिवार बनाये गये कैलेण्डर, ग्राम अभिलेख का संधारण के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जाए। अतः बैठक में उपरोक्त कार्यों के पूर्ण तथा अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन के साथ एवं बैठक में आने से पूर्व निर्धारित किये गये कार्यों में से अधिकांश को पूर्ण कर बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया है।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा जिला स्तरीय उद्घोषणा, कर्मियों की शिविरवार, ग्रामवार टैगिंग, ग्रामवार उद्घोषणा, ग्राम सभा कैलेण्डर के संबंध में दिया गया प्रतिवेदन निम्नवत है:-

1. शिविरवार, ग्रामवार नवनियोजित कर्मियों की टैगिंग :- सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि नवनियोजित कर्मियों के शिविरवार, ग्रामवार टैगिंग का निर्धारण संचिका स्तर पर कर लिया गया है, किन्तु R2R सॉफ्टवेयर के माध्यम से टैगिंग नहीं की गयी है।
2. जिलास्तरीय ग्रामवार उद्घोषणा :- सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रपत्र-1 में ग्रामवार उद्घोषणा प्रकाशित कर दी गयी है, किन्तु समीक्षा में पाया गया कि अनेक जिलों द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप ग्रामवार उद्घोषणा के स्थान पर कई ग्रामों की उद्घोषणा एक साथ की गयी है।
3. ग्राम सभा कैलेण्डर :- समीक्षा में पाया गया कि किसी भी जिले द्वारा ग्रामवार, तिथिवार ग्राम सभा का कैलेण्डर तैयार नहीं किया गया है। कुछ जिलों द्वारा यह बताया गया कि ग्राम सभा का कैलेण्डर बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर मुखिया एवं अन्य जन प्रतिनिधियों से संपर्क किया जा रहा है।

उपरोक्त समीक्षा के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये:-

- (i) पत्रांक-13088 दिनांक-31.07.2024 के आलोक में दिनांक-02.08.2024 एवं 03.08.2024 को होने वाली राज्यस्तरीय बैठक तक अधिक से अधिक कर्मियों की शिविर टैगिंग का कार्य पूर्ण कर लिया जाय।
- (ii) जिला स्तर से की जाने वाली ग्रामवार उद्घोषणा को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक ग्राम के लिए अलग-अलग उद्घोषणा की जाय एवं उद्घोषणा की प्रति संबंधित ग्राम के ग्रामअभिलेख में संधारित की जाय।

(iii) ग्राम सभा के लिये तिथिवार, ग्रामवार कैलेण्डर तैयार कर दिनांक-02.08.2024 एवं 03.08.2024 की बैठक में उपलब्ध कराया जाय। इस संबंध में बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के लिए की जाने वाली ग्राम सभा, पंचायती राज विभाग अंतर्गत की जाने वाली ग्राम सभा से पूर्णतया भिन्न है एवं इस ग्राम सभा का उद्देश्य स्थानीय रैयतों को विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न जानकारियों को उपलब्ध कराया जाना है। ग्राम सभा का आयोजन बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 के निहित प्रावधान के अनुरूप किया जाना है।

सिवान के बन्दोबस्त पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिला में 02 में से 01 ही कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध है, जो दक्ष नहीं है। बैठक में निदेशालय के प्रोग्रामर द्वारा ऑपरेटर को Any Desk/Zoom मितिग के माध्यम से सम्बद्ध कर निदेश देने का प्रयास किया गया, लेकिन कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा निदेश के अनुरूप कार्य नहीं किया जा सका। निदेशित किया गया कि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा वापस करने का प्रस्ताव दिया जाय।

सभी जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि बन्दोबस्त कार्यालय में पदस्थापित कम्प्यूटर ऑपरेटर की दक्षता का परीक्षण कर जो भी ऑपरेटर कार्य करने में दक्ष नहीं हैं, उनकी सेवा बेल्ट्रॉन को वापस करने का प्रस्ताव समर्पित किया जाए। साथ ही निदेशालय स्तर से सभी जिलों की समीक्षा कर प्रत्येक जिले में 02 कम्प्यूटर ऑपरेटर की पदस्थापना सुनिश्चित की जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)
सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-सह-
निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे-13/2024 13183 पटना, दिनांक: 02/08/2024
प्रतिलिपि : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-सह-
निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे-13/2024 13183 पटना, दिनांक: 02/08/2024
प्रतिलिपि : सभी प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-सह-
निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे-13/2024 13183 पटना, दिनांक: 07/08/2024
प्रतिलिपि: उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/सहायक निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण/प्रशाखा पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-सह-
निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे-13/2024 13183 पटना, दिनांक: 07/08/2024
प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-सह-
निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे-13/2024 13183 पटना, दिनांक: 07/08/2024
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-सह-
निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे-13/2024 13183 पटना, दिनांक: 07/08/2024
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-सह-
निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण